

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9
संख्या 532/XXVII(9)/2012/स्टाम्प-28/2012
देहरादून: दिनांक 18.09.2012

-:: अधिसूचना ::-

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 सपटित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (केन्द्रीय अधिनियम सं० 25 वर्ष 1955) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह नियमावली, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड हिन्दू विवाह रजिस्ट्रेशन (संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड हिन्दू विवाह रजिस्ट्रेशन (संशोधन) नियमावली 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 10 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रेशन नियमावली, 1973, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (एक) और खण्ड (दो) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

10(1) विवाह के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र पर शुल्क होगा-

(एक) रू० 2.00 विवाह संस्कार संपन्न होने के दो माह के अन्दर पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होने वाला आवेदन पत्र पर।

(दो) रू० 4.00, विवाह संस्कार संपन्न होने के दो माह पश्चात् विवाह के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होने वाला आवेदन पत्र पर नगद

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

10(1) विवाह के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र पर शुल्क होगा-

रू० 100.00 विवाह संस्कार संपन्न होने के पश्चात् विवाह के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र पर नगद रजिस्ट्रार को भुगतान करने पर।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या 532(1)/XXVII(9)/2012/स्टाम्प-28/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, ऑबराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. न्याय/विधायी अनुभाग।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को (अंग्रेज के रूपान्तरण सहित) आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 200-200 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप-सचिव